

उत्तराखण्ड रासन  
सिंचाई अनुभाग-1  
संख्या- - / 1(1)-2019-01(38)/2019  
देहरादून: दिनांक 25 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम 3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थल से कॉलम 4 में अंकित नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	अभियन्ता का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
<b>अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) का सुगम से दुर्गम में अनिवार्य स्थानान्तरण</b>				
1	श्री सुधीर कुमार / अलीगढ़ / 03.06.1967	एसोसिएट प्रोफेसर प्रदेशीय अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान रुड़की।	सिंचाई कार्य मण्डल, रुद्रप्रयाग	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17.(1) (क) के अन्तर्गत।
<b>अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) का दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण</b>				
2	श्री प्रेम सिंह पवार / टिहरी / 02.04.1964	सिंचाई कार्य मण्डल, रुद्रप्रयाग	सिंचाई कार्य (पुनर्वास) मण्डल, ऋषिकेश	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17.(1)(ग) के अन्तर्गत।

2- उक्त कार्मिक नवीन तैनाती के स्थान पर आदेश जारी किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करेंगे।

3- उक्त कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।

4- उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5- उक्त स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

6- यदि उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

7- यदि उपरोक्त कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उनके इस कृत्य/आचरण को सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2003 का उल्लंघन मानते हुये उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5/6/19  
A2  
26/6

8- यदि स्थानान्तरित कार्मिक उक्त आदेश के अनुपालन करने में असफल रहते हैं या स्थानान्तरण अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेंगे या उल्लंघन करने का प्रयास करेंगे, तो उनका उक्त कृत्य उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

(डा० भूपिन्दर कौर औलख)  
सचिव।

संख्या- 1076 / 11(1)-2019-01(38)/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मा० सिंचाई मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
8. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल/वेबसाइट पर अपलोड।

आज्ञा से,



(रणजीत सिंह)  
उप सचिव।